<u>कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, कमिश्नरेट वाराणसी</u>

<u>प्रेस-नोट</u>

<u>दिनांक- 12.10.2021</u>

<u>कमिश्नरेट वाराणसी में सुगम/व्यवस्थित यातायात संचालन हेतु पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा दिये गये आवश्यक निर्देश</u>

आज दिनांक 12.10.2021 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश द्वारा अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात, समस्त यातायात निरीक्षक एवं यातायात उ0नि0गण के साथ कैम्प कार्यालय में एक गोष्ठी आयोजित की गयी। उक्त गोष्ठी में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में सुगम यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये-

- प्रमुख चौराहों/तिराहों पर सुगम एवं जाम मुक्त यातायात व्यवस्था की यातायात उ0नि0 के पास होगी जिम्मेदारी।
- समस्त यातायात पुलिसकर्मियों की लगेगी रोटेशन वार ड्यूटी, एक स्थान पर 15 दिवस की होगी ड्यूटी अवधि तथा यातायात लाईन के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीगण के संबंध में समीक्षा कर कार्यालय स्टाफ से संख्या घटाकर वाह्य ड्यूटी हेतु बढ़ायी गयी जनशक्ति।
- तीन क्यू.आर.टी. टीम का होगा गठन, जो शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर रहेगें मौजूद, जाम की स्थिति में तत्काल करेंगे प्रभावी कार्यवाही।
- यातायात पुलिस में बढायी जायेगी पुलिस बल की संख्या।
- प्रत्येक दिवस कर्मचारीगण को ड्यूटी में जाने से पूर्व जोन के यातायात निरीक्षक द्वारा दिये जायेगें आवश्यक दिशा-निर्देश।

- नो-पार्किंग जोन व सड़क के किनारों पर नही खड़े हो सकेंगे वाहन, वाहन खड़ा रहने पर लिफ्टर क्रेन द्वारा उठाने हेतु 04 लिफ्टर क्रेन क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने जिससे क्रेन क्रय किये जाने हेतु निदेशालय से पत्राचार किये जाने हेतु पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देश ।
- यातायात लाईन में उपस्थित मानव संशाधनों एवं अन्य संशाधनों का मूल्यांकन कर बेहतर उपयोग करने हेतु दिये गये आवश्यक निर्देश।

अतः आम जनमानस से अपील की जाती है कि यातायात पुलिस के सहयोग हेतु आप सभी यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आप स्वयं यातायात नियमों के उल्लंघन से बच सकें तथा वाराणसी की सुगम यातायात व्यवस्था में अपना अमूल सहयोग प्रदान करें।

(दिनेश कुमार पुरी)
अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात,
कमिश्नरेट वाराणसी।